सचिका स0–7 / बजट–46–30 / 2024 – 575 (7)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शैलेश कुमार
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा मे,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0),
वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना ।

द्वारा:– वित्त विभाग ।

पटना, दिनाक–26/03/2025

विषयः– अनुमंडलीय अस्पताल, हिलसा, नालन्दा के परिसर में मॉडल अस्पताल के तर्ज पर 100 शय्या के नये अनुमंडलीय–सह–मॉडल अस्पताल भवन के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 में, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम, लि०, पटना से प्राप्त तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के आधार पर कुल रू० 29,01,87,000/–(रूपये उनतीस करोड़ एक लाख सतासी हजार) मात्र की लागत पर योजना की प्रशासनिक स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार की जनता को गुणवत्तायुक्त उच्चकोटि के चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य के जिला अस्पताल एवं अनुमंडलीय अस्पतालो के उन्नयन का कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम मे नालन्दा जिलान्तर्गत राजगीर–पटना–गया मुख्य मार्ग पर अवस्थित हिलसा अनुमंडलीय अस्पताल को भी मॉडल अस्पताल के तर्ज पर 100 बेड के अनुमडलीय–सह–मॉडल अस्पताल के रूप मे विकसित करने का निर्णय लिया गया है।

2– उक्त के आलोक मे बिहार चिकित्सा सेवाये एव आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना के पत्राक–8272, दिनाक–13.12.2024 द्वारा अनुमंडलीय अस्पताल, हिलसा, नालन्दा के परिसर में मॉडल अस्पताल के तर्ज पर 100 शय्या के नये अनुमडलीय–सह–मॉडल अस्पताल भवन के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 में, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत सरचना निगम, लि०, पटना से प्राप्त तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के आधार पर कुल रू० 29,01,87,000/–(रूपये उनतीस करोड एक लाख सतासी हजार) मात्र की लागत पर योजना का प्राक्कलन तैयार किया गया है। इसमें यह प्राक्कलन अवस्थित भवन को पूर्ण उपयोग में लाते हुए परिसर के अवशेष भूमि पर कार्य कराये जाने एव भविष्य मे परिसर में भूमि की कमी को देखते हुए शैक्षणिक सस्थान के उपरी तल पर विकास के संभावनाओं को देखते हुए तैयार किया गया है। इसमें अस्पताल भवन (रैम्प, कम–से–कम दो लिफ्ट की सुविधा के साथ), वृहद गेट (उत्तर/पूर्व दिशा) के साथ नये चाहरदीवारी निर्माण, आंतरिक एवं वाह्य पहुंच पथ का विकास, परिसर विकास (जल–जीवन–हरियाली के मानकों के अनुरूप ग्रीन एरिया के साथ) उच्च कोटि की IPHS मानक के अनुरूप चिकित्सकीय सुविधा यथा–O.T., Emergency/ Trauma, SNCU, Per bed Medical gas pipeline, STP/ETP Plan, CCTV System की सुविधा का प्रावधान किया गया है।

3– उक्त परिप्रेक्ष्य मे अनुमंडलीय अस्पताल, हिलसा, नालन्दा के परिसर में मॉडल अस्पताल के तर्ज पर 100 शय्या के नये अनुमंडलीय–सह–मॉडल अस्पताल भवन के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 मे, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम, लि०, पटना से प्राप्त तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के आधार पर कुल रू० 29,01,87,000/–(रूपये उनतीस करोड एक लाख सतासी हजार) मात्र की लागत पर योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रशासनिक स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाती है।

D:\Lalu pd\Rajayadesh\2024-25\Anu Hos Hilsa, Nalanda doc

4– उक्त कार्य बिहार चिकित्सा सेवायें एव आधारभूत सरचना निगम लि०, पटना (BMSICL) के द्वारा कराया जायेगा। कार्य कराते समय निम्न बिन्दुओं को ध्यान मे रखा जायगा.–

(i) कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व इसकी सपुष्टि प्राप्त कर ली जायेगी कि संबंधित कार्य किसी अन्य योजना से नही कराया जा रहा हो या पूर्व मे नही कराया गया हो।

(ii) निगम द्वारा प्रदत्त तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के मुताबिक ही IPHS मानको के अनुरूप यह कार्य कराया जायेगा।

(iii) राशि का व्यय कार्य की प्रगति को देखते हुए आवश्यकनानुसार की जायेगी।

(iv) कार्य का सघन पर्यवेक्षण निगम द्वारा अधिकृत नामित पदाधिकारी/एजेन्सी द्वारा कराया जायेगा। संबंधित अभियता यह सुनिश्चित कर लेंगे कि उक्त भवन के उपरी तल पर भविष्य मे शैक्षणिक संस्थान (Nursing/Para Medical) के विकास के सभावना भी हो। साथ ही, निर्माण कार्य मे मानक के अनुरूप स्टील एव अन्य सामग्री का इस्तेमाल किया जाय ताकि गुणवत्ता प्रभावित न हो, इस सबध मे किसी भी तरह की कमी होने पर सम्पूर्ण जिम्मेवारी भी सबधित पदाधिकारी/एजेसी की ही होगी। चिकित्सकीय उपस्करों/ उपकरणो के सदर्भ में सिविल सर्जन/प्रभारी पदाधिकारी के द्वारा भी यह सम्पुष्टि कर ली जाएगी कि प्राक्कलन के अनुरूप कार्य सम्पन्न करा लिया गया है।

(v) कार्य निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत हो, यह सुनिश्चित कराया जायेगा। भवन निर्माण सबधी कार्यादेश निर्गत के उपरान्त समय सीमा का पूर्ण अनुपालन की जिम्मेवारी भी संबधित पदाधिकारी/एजेन्सी की होगी।

(vi) निगम के सबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा स्थल निरीक्षणोपरान्त एव निर्माण सामग्रियो के जांच के आधार पर मासिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा, जबतक कि कार्य पूर्ण नही हो जाय। तद्क्रम में निगम द्वारा भी भवन निर्माण संबधी छ. मासिक प्रगति से विभाग को अवगत कराया जाएगा, जबतक भवन निर्माण कार्य पूर्ण न हो जाय।

(vii) योजना के कार्यान्वियन मे विलम्ब के कारण अगर प्राक्कलित राशि की पुनरीक्षण की आवश्यकता पडी तो इसके लिए बिहार चिकित्सा सेवाये एव आधारभूत सरचना निगम, पटना के सबधित पदाधिकारी जिम्मेवार माने जायेगे।

5– यह कार्य मांग संख्या–20 के अन्तर्गत, मुख्य शीर्ष– 4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष–01– शहरी स्वास्थ्य सेवाएं, लघु शीर्ष–110–अस्पताल तथा औषधालय उपशीर्ष– 0113–जिला एवं अनुमंडलीय अस्पताल भवनों का निर्माण, जीर्णोद्वार विपत्र कोड–20-4210011100113, विषय शीर्ष–(53–01) मुख्य निर्माण कार्य अन्तर्गत उपबंधित/अनुपूरक आगणन से प्राप्त राशि से विकलनीय होगा ।

6– इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे तथा नियंत्रण पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

7– अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बी0टी0सी0 फॉर्म–46 में तैयार विपत्र के माध्यम से राशि को नगद नही बल्कि खाता अंतरण के माध्यम से बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना को उपलब्ध करायेंगे, जो उक्त राशि को पी0एल0 एकाउन्ट स0–PBBPLA007 विपत्र कोड–00-8448001110002-0001 के अन्तर्गत ledger ID------------ में जमा कर राशि का खर्च विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए करेंगे।

8– बिहार चिकित्सा सेवाये एवं आधारभूत संरचना निगम, पटना पी०एल० एकाउन्ट का धन ऋण ज्ञापन (Plus-Minus Memoranda) तथा पी०एल० खाते में प्राप्ति का चालान एव व्यय के सुसंगत वाउचर/उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ विहित प्रपत्र में ससमय कोशागार पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को प्रेशित करना सुनिश्चित करायेगे एव इसकी प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायेंगे।

9– राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561 वि0(2), दिनांक–17 04.98, 8543 वि0(2), दिनांक–27.11.2007, 3758/वि०, दिनांक–31 05.2017 एवं 12888/वि०, दिनांक–03.12.2024 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

10– राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी।

11– प्रस्ताव में विभागीय स्थायी वित्त समिति की दिनांक–07.01.2025 की बैठक की कार्यवाही के ज्ञापांक–336(7), दिनांक–09.01 2025 के क्रम संख्या–05 में स्वीकृति प्राप्त है।

12– प्रस्ताव एव प्रारूप मे माननीय मत्री, स्वास्थ्य विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

13– प्रस्ताव एव प्रारूप में माननीय उप–मुख्य (वित्त) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

14– यह मात्र राज्यादेश है।

15– सबंधित प्रस्ताव मे महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

26/3/25

(शैलेश कुमार)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांकः– 5775 (7) /स्वा0, पटना, दिनांक–26/03/2025

प्रतिलिपि–योजना एव विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रमडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत सरचना निगम लि०, स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना/जिला पदाधिकारी, नालन्दा/ क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, पटना प्रमडल, पटना/असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, नालन्दा/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमडलीय अस्पताल, हिलसा (नालन्दा)/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग/लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–7, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के विशेष सचिव